संख्या-१२०/२०१६/1953/बावन-1-2016-01(20)/14

प्रेषक,

मो०शफ़कत कमाल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक २७ जुलाई, 2016**

विषय -12वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 23.10.2013 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 77वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-जे0पी0नगर (अमरोहा) बांसखेड़ी में स्वीकृत 01 आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण की **द्वितीय किश्त** अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(14)/2012 पी0पी0, दिनांक 12.02.2014 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-2966/52-1-2014-01(120)/14, दिनांक 22 सितम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद-जे०पी०नगर (अमरोहा) में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र बांसखेड़ी के भवन निर्माण हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(14)/2012 पी0पी0, दिनांक 31.03.2016 से उक्त 01 आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 4.23 लाख की अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 1,58,000/- (रू0 एक लाख अट्ठावन हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू० 53,000/- अर्थात् कुल रू० 2,11,000/- (रू० दो लाख ग्यारह हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 3975.25 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (के0+रा0)	वर्तमान में अवमुक्त **द्वितीय किश्त**		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जे0पी0नगर (अमरोहा)	बांसखेडी में आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण	01	4.23	3.17	1.06	2.12	1.58	0.53	2.11
		योग=	**01**	**4.23**	**3.17**	**1.06**	**2.12**	**1.58**	**0.53**	**2.11**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। धनराशि निर्गत होने के एक माह के पश्चात् प्रथम किश्त से कराये गये अधोमानक निर्माण कार्य के निराकरण होने तथा कार्य गुणवत्तापूर्ण होने की पुष्टि कर ली जायेगी।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाईड लाइन्स के अनुरूप कराया जायेगा।

3- आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** नामित है। अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अवमुक्त धनराशि से 03 माह में पूरा कर लिया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- धनराशि योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर प्रश्नगत आंगनवाड़ी योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/बावन-1-2009-1(1)/2009, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा मात्रात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

8- आहरित धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

http://shasnadesh.up.nic.in

9- अवमुक्त धनराशि को व्यय किये जाने के उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण-कार्यों के फोटोग्राफ्स की दो-दो प्रतियां जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

-10 अनुदान ग्राही(Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशककसंख्यअल्प , कल्याण , उजमा कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में 0प्र0 कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० करालखनऊ को उपलब्धया जायेगा ।

11- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनाया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय-स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

12- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि /जिलाधिकारीजिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेशमें निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

13- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के **लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय -01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना (केन्द्रांश-75/रा0-25-के0+रा0)-24 वृहद निर्माण कार्य"** के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त (यकव्य-आय)अनुभाग 1-के कार्यालय-1-0बी/2016/1-ज्ञाप संख्या-/746दसमें नि 2016-03-22 दिनांक ,2016/231-2016-हित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मो०शफ़कत कमाल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1953(1)/बावन-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अमरोहा के बांसखेड़ी में आंगनवाड़ी केन्द्र का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ ।

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, जे0पी0नगर(अमरोहा) को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्र का समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

8- निदेशक**, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्र का गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 को 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shrtsanadesh.up.nic.in